[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, 25th April, 2019

G.S.R.....(E)._ In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the **Companies (Incorporation)** Rules, 2014, namely: -

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the **Companies (Incorporation)** Fourth Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of publication in the official gazette.

2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014, in rule 25A, in sub-rule (1) of for the words and figures 'on or before 25.04.2019, the words and figures 'on or before 15.06.2019' shall be substituted.

3. In In the Companies (Incorporation) Rules, 2014, in rule 25A, in sub-rule (1), in the third proviso, for the words and figures 'on or after 26th April, 2019, the words and figures 'on or after 16th June, 2019 shall be substituted.

4. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014, in sub-rule (2), for the words and figures "on or after 26th April, 2019", the words and figures "on or after 16th June, 2019" shall be substituted.

IndiaCode

[F. No. 1/13/2013 CL-V, part-I, Vol.II]

25/4/19.

K.V.R. MURTY, Joint Secretary.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 250(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 349 (E)	01-05-2015
2.	G.S.R. 442 (E)	29-05-2015
3.	G.S.R. 99 (E)	22-01-2016
4.	G.S.R.336(E)	23-03-2016
5.	G.S.R.743(E)	27-07-2016
6.	G.S.R.936(E)	01-10-2016
7.	G.S.R.1184 (E)	29-12-2016
8.	G.S.R. 70 (E)	25-01-2017
9.	G.S.R.955 (E)	27-07-2017
10.	G.S.R. 49 (E)	20-01-2018
11.	G.S.R.284 (E)	23-03-2018
12.	G.S.R.708 (E)	27-07-2018
13.	G.S.R.1219 (E)	18-12-2018
14.	G.S.R.144 (E)	21-02-2019
15	G.S.R.180 (E)	06-03-2019
15	G.S.R.275(E)	29-03-2019

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2019

सा.का.नि.....(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का और संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इसका नाम **कंपनी (निमगन)** चौथा संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 25क के उपनियम (1) में, '25.04.2019 को या इससे पूर्व' शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर '15.06.2019 को या उसके पूर्व' शब्द और आंकड़ें रखे जाएंगे।

3. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के 25क के उपनियम (2) में, '26.04.2019 को या इससे पूर्व' शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर '16.06.2019 को या उसके पश्चात्' शब्द और आंकड़ें रखे जाएंगे।

4. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के उपनियम (2) में, "तारीख 26 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद" शब्दों और अंकों के लिए "तारीख 16 जून, 2019 को या उसके बाद" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

IndiaCode

[फा.सं. 1/13/2013-सीएल.V, पार्ट-I, खंड.II]

के.वी.आर. मूर्ति
25/4/19.

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.250(अ), 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा इसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए:-

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 349(अ)	01-05-2015
2.	सा.का.नि. 442(अ)	29-05-2015
3.	सा.का.नि. 99(अ)	22-01-2016
4.	सा.का.नि. 336(अ)	23-03-2016
5.	सा.का.नि. 743(अ)	27-07-2016
6.	सा.का.नि. 936(अ)	01-10-2016
7.	सा.का.नि. 1184(अ)	29-12-2016
8.	सा.का.नि. 70(अ)	25-01-2017
9.	सा.का.नि.955(अ)	27.07.2017
10.	सा.का.नि.49(अ)	20.01.2018
11.	सा.का.नि.284(अ)	23.03.2018
12.	सा.का.नि.708(अ)	27.07.2018
13.	सा.का.नि.1219(अ)	18.12.2018
14.	सा.का.नि.144(अ)	21.02.2019
15.	सा.का.नि.180(अ)	06.03.2019
16.	सा.का.नि.275(अ)	29.03.2019

IndiaCode